

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-10/11/2020

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में पूर्व में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की राशि कुल ₹170.28992 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार नौ सौ बानवे रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की निकासी की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16, 2017-18 एवं 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में पथ एवं पुलिया निर्माण मद की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं को स्तम्भ- 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न आवंटनादेशों द्वारा स्तम्भ- 6 के अनुरूप राशि आवंटित की गई थी। आवंटित राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की अधियाचना कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत- कांटी, बोधगया एवं डुमरा द्वारा किया गया है।

2. उक्त अधियाचना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 8 के अनुरूप अधियाचित कुल राशि ₹170.28992 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार नौ सौ बानवे रु०) मात्र की निकासी की स्वीकृति पथ एवं पुलिया निर्माण मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	(राशि लाख में) स्वीकृत कुल अवशेष/ अधियाचित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत, कांटी	ग्राम कांटी कोठियों में थर्मल पावर ऐश डेम बांध से कोठियों मजार होते हुए नाथ बाबा सीन, मस्जिद को जोड़ते हुए मध्य विद्यालय (बालिका) तक के सड़क के चौडत्रीकरण एवं पी०सी०सी० निम्नण कार्य तथा कोठियों मजार से हरिजन चौक होते हुए सलेश स्थान तक के सड़क की चौडीकरण एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	26/ 12.08.2015	286.49000	179.05625	90.71493
2	नगर पंचायत, बोधगया	लुम्बनी होटल के बाँउन्डी के बगल से बस स्टैण्ड तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	128/ 08.03.2018	63.09500	31.54750	22.52499

OK

3		मियाँबिगहा से सुजाता बाईपास तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।		69.83100	34.91550	34.91550
4	नगर पंचायत, डुमरा	नगर पंचायत, डुमरा अंतर्गत वार्ड नं०- 04 में विजय बैठा के घर से श्री विमल शुक्ला के घर होते हुए मदन शर्मा के घर तक एवं ललन जी के घर से विन्देश्वरी बाबू के घर तक पी०सी०सी० सड़क पक्का नाला एवं स्लैब निर्माण कार्य।	78/ 06.12.2017	44.26900	22.13450	22.13450
कुल योग				463.68500	267.65375	170.28992

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹170.28992 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार नौ सौ बानवे रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत ₹170.28992 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार नौ सौ बानवे रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर पंचायतों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। तदोपरान्त संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा राशि संबंधित कार्यकारी एजेंसी को दी जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत ₹170.28992 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार नौ सौ बानवे रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930103, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/सड़क-09-01/2019 के पृष्ठ सं०-.....५१...../टि० पर दिनांक-.....०९।०१।२०२०..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....५२...../टि० पर दिनांक-.....०९।०१।२०२०..... को प्राप्त है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, गया एवं सीतामढ़ी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत- कांटी, बोधगया एवं डुमरा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2019 172 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 10/1/2020

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, गया एवं सीतामढ़ी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत- कांटी, बोधगया एवं डुमरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय .कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

2/1/20